

सुरक्षा ठेका ई—निविदा (प्रथम) प्रपत्र

(ठेका की अवधि दिनांक 01.05.2019 से 30.04.2021 तक)

: निविदा आमंत्रणकर्ता :

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
डेयरी प्लांट हबीबगंज—भोपाल (म•प्र•)— 462024

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
डेयरी प्लांट हबीबगंज भोपाल—462024
फोन नंबर (0755)—2478250 से 253, फैक्स नं० (0755)—2450896
E-mail: bsdsim@gmail.com

सुरक्षा ठेका ई-निविदा (प्रथम) आमंत्रण सूचना

ई-निविदा संदर्भ क्रमांक : BSDSM/ADMN/2019/02

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के मुख्य डेयरी संयंत्र, पशु आहार संयंत्र (पचामा) एवं समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों में दो वर्ष की अवधि के लिये सुरक्षाकर्मी प्रदाय हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक निविदाकर्ता राशि रु 2,000/- (दो हजार रुपये मात्र) का ऑनलाइन भुगतान कर ई-टेंडरिंग वेबसाइट <http://www.mptenders.gov.in> पर दिनांक 08/03/2019 प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 28/03/2019 दोपहर 12:00 बजे तक निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्र्य कर सकते हैं। निविदा अपलोड करने का अंतिम समय दिनांक 28/03/2019 दोपहर 01:00 बजे तक है। निविदा संबंधी शर्तें एवं विस्तृत विवरण एम.पी.सी.डी.एफ की वेबसाइट www.mpcdf.nic.in पर पठन हेतु उपलब्ध है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल— 462024

प्रपत्र मूल्य रु. 2,000/-

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल— 462024

ठेके पर सुरक्षाकर्मी प्रदाय हेतु निविदा प्रपत्र –

1	निविदा प्रपत्र ऑनलाइन विक्रय प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	08 / 03 / 2019 प्रातः 11:00 बजे से
2	निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	28 / 03 / 2019 दोपहर 12:00 बजे तक
3	निविदा ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	28 / 03 / 2019 दोपहर 01:00 बजे तक
4	निविदा ऑनलाइन खोलने की तिथि एवं समय	29 / 03 / 2019 दोपहर 03.00 बजे से
5	निविदा के साथ अनिवार्यता जमा की जाने वाली धरोहर राशि [REDACTED]	रु. 5,00,000 / -(रु. पाँच लाख मात्र)
6	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	कार्यालय, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल
7	निविदा की सामान्य शर्तें	प्रपत्र 01
8	निविदा हेतु “अनिवार्य तकनीकी अहताएँ” का विवरण	प्रपत्र 02
9	“भाव पत्र/दर” प्रस्तुत करने का प्रपत्र	प्रपत्र 03

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल— 462024

(अ) निविदा की सामान्य शर्तें

1.	भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के मुख्य डेयरी संयंत्र, पशु आहार संयंत्र (पचामा) एवं समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों में ठेके पर सुरक्षाकर्मी प्रदाय करने हेतु म.प्र. शासन अथवा अधिकृत निकाय/संस्था में विधिवत पंजीकृत/संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत वैध अनुज्ञाप्ति प्राप्त एकल ठेकदार/फर्म/सहकारी संस्था/एजेंसी, जिसके पास किसी प्रतिष्ठित औद्योगिक/वाणिज्यक संस्था में वित्तीय वर्षों (2016-17, 2017-18) में सुरक्षाकर्मी प्रदाय का अनुभव हो और जिसने वित्तीय वर्ष 2017-18 में न्यूनतम 200 दिन तक औसतन कम से कम 200 सुरक्षाकर्मी प्रतिदिन प्रदाय किये हों, ऐसे निविदाकारों की निविदाओं पर ही विचार किया जावेगा।
2.	धरोहर राशि [₹५०,०००] रुपये 5,00,000/- (रु. पाँच लाख) निविदाकार को [₹१०,०००] जमा करना अनिवार्य है। National Small scale Industries Corporation से पंजीकृत फर्मों सहित अन्य किसी भी प्रकार के शासकीय संस्थाओं से अनुशंसित किसी भी निविदाकार को धरोहर राशि जमा करने के संबंध में छूट नहीं दी जावेगी। बिना धरोहर राशि के प्रस्तुत निविदाओं को अमान्य किया जावेगा। धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। निविदा अस्वीकृत होने पर असफल निविदाकारों की धरोहर राशि एक माह की समयसीमा में वापस की जावेगी। निविदा स्वीकृत होने पर संघ के प्रबंधन द्वारा कार्यादेश दिये जाने पर यदि निर्धारित तिथि से कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो धरोहर राशि [₹५०,०००] जप्त कर दूसरे न्यूनतम निविदाकर्ता को कार्य का ठेका दिया जावेगा। निविदा स्वीकृत होने एवं कार्य शुरू होने पर धरोहर राशि [₹५०,०००] को सुरक्षा निधि [₹५०,०००] में समायोजित किया जावेगा।
3.	निविदा स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को होगा।
4.	निविदा स्वीकृत होने पर सफलतम् निविदाकार अर्थात् सुरक्षा ठेकेदार को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र, पशु आहार संयंत्र (पचामा) एवं समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों हेतु प्रतिदिन लगभग 130 सुरक्षाकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी एवं कार्य की आवश्यकतानुसार सुरक्षाकर्मियों की संख्या समय-समय पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सुरक्षा ठेकेदार भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेरी संयंत्र, दुग्ध शीतकेन्द्रों तथा पशु आहार संयंत्र (पचामा) के संयंत्र भवन, गोडाउन, कार्यालयीन संपत्ति एवं परिसर की दिन-रात सुरक्षा व्यवस्था करेगा। दुग्ध शीत केन्द्रों की सूची (प्रदर्श 1) तथा अनुमानित सुरक्षाकर्मियों की संख्या (प्रदर्श 2) पर संलग्न है।
5.	निविदा स्वीकृत होने पर तत्काल निविदाकार द्वारा स्वयं के खर्च से अनुबंध पत्र हेतु रुपये 1,000/- (रु हजार मात्र) का गैर न्यायालयीन स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा एवं कार्य प्रारंभ से पूर्व अनुबंध पत्रों पर हस्ताक्षर करने होंगे। निर्धारित अवधि तक अनुबंध निष्पादन नहीं होने पर कार्यादेश स्वतः निरस्त हो जावेगा।
6.	सुरक्षा ठेकेदार को सौंपा हुआ कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर ठेका निरस्त करने एवं सुरक्षा निधि [₹५०,०००] राजसात करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को होगा।
7.	कान्ट्रेक्ट लेबर (रेयुलेशन एंड एबोलीशन) एकट 1970 के अंतर्गत सुरक्षा ठेकेदार के पास लायसेंस होना आवश्यक है तथा उक्त लायसेंस का समय-समय पर नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।
8.	निविदा खोलने के पश्चात यदि प्रबंधन को दरें अधिक प्रतीत हों और वह आवश्यक समझे तो न्यूनतम निविदाकर्ता को निगोशिएशन हेतु बुलाया जा सकता है। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

9.	<p>सुरक्षा ठेका अनुबंध दिनांक 01.05.2019 से 30.04.2021 तक की अवधि तक प्रभावशील रहेगा। अनुबंधित सुरक्षा ठेकेदार का कार्य संतोषजनक होने पर ही प्रबंधन यह विचार कर सकेगा कि आपसी सहमति से ठेका अवधि आवश्यकतानुसार आगामी दो वर्ष तक पूर्व स्वीकृत दर एवं पूर्वानुसार शर्तों के आधार पर बढ़ाई जा सकेगी।</p>
10.	<p>निविदाकार को कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम दोनों में रजिस्ट्रेशन होना/पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण की सत्यापित प्रतिलिपियाँ निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी। निविदाकर्ता पर कारखाना अधिनियम एवं श्रम विभाग में प्रकरण/विवाद आदि लंबित/विचाराधीन नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करना होगा। सफल निविदाकार द्वारा प्रेषित शपथ पत्र बाद में असत्य पाये जाने पर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।</p>
11.	<p>(अ) ठेकेदार/सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था लगातार शिफ्टों में की जावेगी एवं संभावित चोरी, नुकसान एवं संपत्ति की क्षति से सुरक्षा करेगी। किसी प्रकार की घटना घटित होने पर उसकी सूचना संबंधित शाखा द्वारा अविलंब युक्ति-युक्त समय से सुरक्षा शाखा को दी जावेगी।</p> <p>घटना प्रकरण में संघ द्वारा जांच की जावेगी तथा जांच उपरांत सुरक्षा शाखा के उत्तरदायी पाये जाने पर संघ द्वारा निर्धारित की गई हाँनि की राशि वसूल करने एवं ठेकेदार/सुरक्षा एजेंसी के विरुद्ध आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाही करने में दुर्घट संघ सक्षम होगा।</p> <p>(ब) भोपाल डेरी प्लांट परिसर/ संबंद्ध दुर्घ शीत केन्द्रों में केन/क्रेट/ढक्कन की चोरी, पिलफ्रेज किसी भी प्रकार की सम्पत्ति की चोरी न हो इसकी जबावदारी हेतु विशेष व्यवस्था निम्नानुसार लागू होगी :–</p> <p>(क) क्रेट/केन/ढक्कन निर्धारित स्थल पर (प्लांट, डेरी डाक, स्टोर, या स्टोर डाक) व्यवस्थित रूप से रखी जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण निगरानी सुरक्षा एजेंसी की होगी एवं बिना गेट पास या इंडेन्ट/रिटर्न स्लिप से कोई भी सामान/क्रेट/केन/ढक्कन निर्धारित डेरी डाक से या स्टोर से बाहर नहीं ले जाई जाये एवं न ही अन्य प्रयोजनों में उपयोग में लाई जावे।</p> <p>(ख) क्रेट/केन/ढक्कन की गणना करते समय सुरक्षा एजेंसी को सूचित किया जाएगा। इस हेतु उन्हें अपना प्रतिनिधि देना अनिवार्य है एवं संबंधित डॉक/स्टोर पर गणना के समय सभी प्रकार की टूटी फूटी क्रेट/केन/ढक्कन भी सम्मिलित की जावेगी।</p> <p>(ग) डेरी डाक से क्रेट/केन/ढक्कन, डेरी संयंत्र से बाहर भेजते समय गिनती करवाने हेतु सुरक्षा एजेंसी के प्रतिनिधि, वितरण शाखा के वितरण लिपिक एवं उत्पादन शाखा के प्रबंधक (उत्पादन) उपस्थित होंगे। एक रजिस्टर वितरण लिपिक द्वारा रखा जावेगा एवं एक रजिस्टर प्रबंधक (उत्पादन) द्वारा रखा जावेगा। (क्रेट एकाउट रजिस्टर) एक रजिस्टर सुरक्षा शाखा के द्वितीय गेट पर रखा जावेगा।</p> <p>उपरोक्त बाहर गये क्रेट /केन/ढक्कन डेरी संयंत्र में वापसी के समय सुरक्षा शाखा के द्वितीय गेट पर सुरक्षा शाखा रजिस्टर में गिनकर रिकार्ड किये जावेंगे। साथ ही डेरी प्लांट में इन क्रेट /केन/ढक्कन की वापसी रिकार्ड वितरण लिपिक एवं प्रबंधक (उत्पादन) अपने रिकार्ड/रजिस्टर में रखेंगे। इन्द्राज अंकों एवं शब्दों में दोनों ही तरीकों से अंकित होगा। संबंधित पक्ष अपने पूर्ण हस्ताक्षर, मय दिनांक के करेंगे।</p> <p>सुरक्षा एजेंसी को कार्य आवंटन के प्रथम दिवस पर ही दुर्घ संघ/शीतकेन्द्र परिसर में उपलब्ध क्रेट /केन/ढक्कन का भौतिक सत्यापन करवाकर उसका चार्ज सुरक्षा एजेंसी द्वारा लिया जावेगा तथा उनके आवक एवं जावक का समस्त रिकार्ड सुरक्षा एजेंसी द्वारा रखा जाना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को समस्त क्रेट/केन/ढक्कन का भौतिक सत्यापन प्रबंधक (उत्पादन) एवं वितरण लिपिक के समक्ष सुरक्षा एजेंसी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जावेगा, जिसका मिलान सत्यापन एवं वितरण शाखा के अभिलेखों से किया जावेगा। इसमें कमी पाये जाने पर सुरक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी रहेगी एवं उसकी वसूली</p>

	वर्तमान क्य दरों से सुरक्षा एजेंसी के अगले माह के देयकों से की जावेगी। उत्पादन शाखा से संपादित कार्यों बाबत अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली प्रदर्श 3 पर संलग्न है।
12.	सुरक्षा कर्मियों द्वारा अग्नि बुझाने वाले उपकरणों का रख-रखाव सुनिश्चित किये जाने हेतु उनका समय-समय पर निरीक्षण/परीक्षण करना होगा तथा प्रबंधन को तद विषयक सूचना देनी होगी। अन्यथा आर्थिक दण्ड आरोपित किया जावेगा। साथ ही समय समय पर संघ के कर्मचारियों को अग्नि शमन प्रक्रिया का प्रशिक्षण देने की जवाबदारी सुरक्षा एजेंसी की होगी।
13.	सुरक्षा ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्टोर एवं उसके अंदर या बाहर रखी सामग्री को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। अन्यथा आर्थिक दण्ड आरोपित किया जावेगा।
14.	सुरक्षा ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनाधिकृत, निषेधित एवं नशा करके कोई व्यक्ति परिसर में प्रवेश न करे। सुरक्षा ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई व्यक्ति हथियार, नशीले पदार्थ, जहरीले पदार्थ व अन्य कोई अवांछित वस्तु लेकर परिसर में प्रवेश न करे। उल्लंघन होने पर कानूनी कार्यवाही करें। अन्यथा आर्थिक दण्ड आरोपित किया जावेगा।
15.	सुरक्षा ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि, वे कार्यालय/संयंत्र परिसर में शांति बनाये रखें एवं कर्मचारियों अथवा बाहरी असामाजिक तत्वों के झगड़े इत्यादि को रोके एवं कानूनी कार्यवाही करे। डेयरी परिसर में साफ-सफाई एवं स्वच्छता बनाये रखने में सहयोग प्रदान करेंगे एवं दोषी व्यक्ति के बारे में प्रशासन को अवगत करावें। अन्यथा आर्थिक दण्ड आरोपित किया जावेगा।
16.	सुरक्षा ठेकेदार को कार्य हेतु प्रबंधन उचित स्थान उपलब्ध करायेगा। संघ द्वारा बैठने एवं रिकार्ड सुरक्षित रखने हेतु फर्नीचर प्रदाय किया जावेगा।
17.	ठेके के दौरान सुरक्षा ठेकेदार भोपाल सहकारी दुर्घ संघ/एमपीसीडीएफ के कर्मचारियों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने कार्य पर नहीं ले सकेंगी। साथ ही सुरक्षाकर्मी, श्रमिक ठेका अंतर्गत कार्य नहीं करेंगे।
18.	सुरक्षा कार्य हेतु प्रतिदिन प्रति पाली प्रबंधन की आवश्यकतानुसार सुरक्षा ठेकेदार द्वारा सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने होंगे। यदि अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की आवश्यकता होगी तो प्रशासन शाखा द्वारा ठेकेदार को यथा समय सूचना मौखिक दी जावेगी। सुरक्षा ठेकेदार का दायित्व होगा की वह प्रबंधन के निर्देशानुसार सुरक्षाकर्मियों की पूर्ति सुनिश्चित करेगा ताकि कार्य की गतिशीलता प्रभावित न हो तथा आवश्यक होने पर इन सुरक्षाकर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। यदि व्यवस्था करने में सुरक्षा ठेकेदार असफल होता है तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई संघ द्वारा सुरक्षा ठेकेदार को देय भुगतान से वसूल की जा सकेंगी तथा आर्थिक शास्ति भी अधिरोपित की जायेगी। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा सुरक्षा ठेकेदार हेतु बंधनकारी होगा।
19.	निविदाकार को उसकी निविदा स्वीकृत होने के पश्चात दस दिवस की अवधि में समस्त सुरक्षाकर्मियों की जो उसके द्वारा नियोजित किये गये हैं, उनके लिये वर्कमैन कम्पनसेशन एकट 1923 के अंतर्गत बीमा कम्पनी से प्रति सुरक्षाकर्मी अधिकतम रु. 1,00,000/- की दुर्घटना समूह बीमा पॉलिसी लेना होगी तथा इसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करनी होगी। अन्यथा आर्थिक दण्ड आरोपित किया जावेगा। ऐसी पॉलिसी संपूर्ण ठेके की अवधि तक प्रभावशील/वैध होना जरूरी है। ठेका अवधि में वृद्धि होने पर पालिसी का नवीनीकरण तुरंत कराना होगा। इस हेतु बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की प्रतिपूर्ति दुर्घ संघ द्वारा की जावेगी। यदि कार्य करते समय किसी सुरक्षाकर्मी का एक्सीडेंट हो जाय तो ऐसी परिस्थिति में वर्कसमेन कम्पनसेशन एकट के अंतर्गत देय मुआवजों एवं अन्य दावों, खर्चों आदि का पूर्ण खर्च ठेकेदार को देना होगा। प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
20.	किसी भी सुरक्षाकर्मी की उम्र 25 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए एवं कार्य करने वाले सुरक्षाकर्मी की शारीरिक क्षमता कार्य के योग्य होना चाहिए। इस संबंध में प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा। यदि प्रबंध पक्ष द्वारा महिला सुरक्षाकर्मियों को कार्य पर रखे जाने हेतु

	<p>निर्देशित किया जाता है तो उनकी कार्यावधि प्रातः 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे के मध्य तक रहेगी।</p> <p>1 सुरक्षा एजेंसी, कर्मचारियों के लिए निम्न अर्हतायें निर्धारित की जाती है :—</p> <p>(अ) सुरक्षा अधिकारी :— एनसीओ, सूबेदार से कम रेक न हो अथवा समकक्ष।</p> <p>(ब) सुरक्षा पर्यवेक्षक :— नायक की रेंक से कम न हो अथवा समकक्ष।</p> <p>(स) सुरक्षा गार्ड :— (1) 12 वीं पास एवं (2) एनसीसी प्रशिक्षित, आर.एस.एफ. जिसके पास प्रमाण पत्र एवं औद्योगिक सुरक्षा सेवा का 3 वर्ष का अनुभव हो एवं (3) A उँचाई — 5 फिट 6 इंच न्यूनतम B सीना — 32-34 इंच न्यूनतम C वजन — कम से कम 50 kg. लंबाई के अनुपात में (d) गनमैन :— गनमैन रखे जाने का लायसेंसधारी एवं पुलिस/मिलिट्री से रिटायर होने पर प्राथमिकता दी जायेगी।</p>
21.	<p>निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार को सुरक्षा निधि (Security Deposit) रूपये 15.00 लाख (रु पंद्रह लाख मात्र) अनुबंध के समय जमा करनी होगी। इस हेतु सफल निविदाकार की धरोहर राशि [₹ १५०,०००००] राशि रु 5,00,000/- (रु पांच लाख मात्र) को सुरक्षा निधि [₹ ५०,०००००] में समायोजित किया जावेगा। साथ ही सफल निविदाकार को कार्यादेश जारी होने के 10 दिवस में शेष राशि रु 10,00,000/- (रु दस लाख मात्र) नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक अथवा राष्ट्रीकृत बैंक गारंटी के माध्यम से दुग्ध संघ कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करना होगी। उक्त सुरक्षा निधि (Security Deposit) ठेका समाप्त होने के पश्चात सुरक्षा ठेकेदार द्वारा संघ के समस्त विभागों से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने तथा ठेका अवधि में कार्यरत रहे समस्त सुरक्षाकर्मियों का संपूर्ण ई.पी.एफ अंशदान, ई.एस.आई अंशदान एवं जी.एस.टी राशि जमा होने की रिस्ति में ही वापस की जावेगी। जमा सुरक्षा निधि (Security Deposit) पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।</p>
22.	<p>सुरक्षा ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ में प्रदाय किये गये अपने सुरक्षाकर्मियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार प्रत्येक माह में संबंधित शाखा प्रमुख/दुग्ध शीतकेन्द्र प्रभारी द्वारा सत्यापित उपस्थिति (हाजिरी) के आधार पर मजदूरी राशि का भुगतान अनिवार्यतः बैंक खाते के माध्यम से करने हेतु बैंक भुगतान पत्रक आगामी माह की सात (07) तारीख के पूर्व दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उक्त बैंक भुगतान पत्रकों के आधार पर दुग्ध संघ स्तर से राशि सीधे सुरक्षाकर्मियों के बैंक खाते में जमा करा दी जावेगी तथा जमा की गई राशि व बैंक चार्जेस का समायोजन सुरक्षा ठेकेदार के देयकों से कर लिया जावेगा। सुरक्षाकर्मियों का ई.पी.एफ., ई.एस.आई, श्रमिक कल्याण निधि इत्यादि का नियमानुसार कटौत्रा करने की संपूर्ण जबाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी। अधिनियमित कटौत्रे समय पर जमा करने की जबाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी। सुरक्षा ठेका आवंटन के कार्यादेश दिनांक से एक माह की अवधि में सुरक्षा ठेकेदार को सभी सुरक्षाकर्मियों के बैंक एकाउंट खोलना अनिवार्य होगा तथा सुरक्षाकर्मियों के वेतन व अन्य स्वत्वों का भुगतान बैंक एकाउंट के माध्यम से ही करना होगा। मजदूरी से संबंधित किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान/कम भुगतान की जबाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी, प्रबंधन इस संबंध में जबाबदार नहीं होगा। सुरक्षाकर्मियों को उचित भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुरक्षा ठेकेदार द्वारा समस्त सुरक्षाकर्मियों को वेतन पर्ची (Salary Slip) दी जावेगी, जिसकी एक प्रति संघ कार्यालय में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। ठेकेदार द्वारा सभी सुरक्षाकर्मियों के बैंक खाते खुलवाकर संघ को बैंक खातों की सूची की प्रति दी जावेगी। सुरक्षाकर्मियों को नियमानुसार देय राशि में से कोई राशि देने में ठेकेदार विफल हो जाता है या नियमानुसार जमा योग्य अन्य राशि जमा नहीं करता है, तो ऐसी रिस्ति में भुगतान राशि ठेकेदार की सुरक्षा निधि (Security Deposit) राशि से या देय योग्य राशि में से संघ ठेकेदार के नाम से जमा करा देगा और शेष बची राशि वापस करेगा या ज्यादा राशि</p>

	होगी तो ठेकेदार से भूराजस्व की बकाया राशि की भौति वसूल की जावेगी। यदि किसी माह में सुरक्षा ठेकेदार द्वारा सुरक्षाकर्मियों को वेतन भुगतान करने हेतु बैंक भुगतान पत्रक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो सुरक्षा ठेकेदार को उक्त माह के सर्विस चार्ज का भुगतान नहीं किया जावेगा।
23.	सुरक्षा ठेकेदार को कार्य पर रखे गये समस्त सुरक्षाकर्मियों को कार्य प्रारंभ करने के दस दिवस में अनिवार्य रूप से परिचय पत्र उपलब्ध कराने होंगे। साथ ही फैकट्री एक्ट के अनुसार हाजिरी कार्ड, अवकाश कार्ड, अतिरिक्त समय कार्ड आदि भी देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा व्यवस्थित रिकार्ड रखना होगा एवं समय—समय पर शासन के अधिकृत निरीक्षकों/अधिकारियों से सत्यापन करना होगा तथा संघ द्वारा मांग करने पर भी उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
24.	सुरक्षा ठेकेदार द्वारा लगाये गये सुरक्षाकर्मी ड्यूटी के दौरान अनुशासित रहेंगे एवं उन्हें प्रबंधन की सेवा शर्तों का पालन करना पड़ेगा। सुरक्षाकर्मियों द्वारा किसी भी प्रकार के ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा। वे संघ के विरुद्ध हड्डताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। यदि कोई सुरक्षाकर्मी कर्मचारी यूनियन से सदस्यता लेता है या संघ के विरुद्ध हड्डताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग लेता है या संयत्र को बंद कराता है तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त करना ठेकेदार की अनिवार्य जिम्मेदारी होगी। दोषी पाये गये सुरक्षाकर्मी को पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा। इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति सुरक्षाकर्मी रूपये 1,000/- तक अर्थदण्ड भी लगाया जा सकेगा, जिसकी वसूली ठेकेदार के देयकों में से की जा सकेगी। यदि ठेकेदार द्वारा संबंधित सुरक्षाकर्मी को सेवा से पृथक नहीं किया जाता है व अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर ठेकेदार को ब्लेक लिस्टेड कर ठेका समाप्त कर दिया जायेगा तथा जमा सुरक्षा निधि/धरोहर राशि को भी जप्त किया जा सकेगा।
25.	संयंत्र/कार्यालय परिसर में मदिरापान, धूम्रपान या अन्य कोई भी नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित है। सुरक्षाकर्मी द्वारा मदिरापान, धूम्रपान, गुटखा, पान, तम्बाकू इत्यादि का उपयोग करते हुये पाये जाने पर सुरक्षा ठेकेदार के ऊपर रु. 500/- प्रति सुरक्षाकर्मी का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा। सुरक्षाकर्मी द्वारा लगातार यह कृत्य किये जाने पर उसे भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जायेगा। इस हेतु सुरक्षा कर्मी निरन्तर संघ कर्मियों की चेकिंग/जाँच भी करेंगे व प्रशासन शाखा को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
26.	सुरक्षा ठेकेदार के सुरक्षाकर्मी की गलती से या असावधानी से दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या संघ की संपत्ति को क्षति होती है या वे किसी प्रकार की चोरी, जानबूझ कर नुकसान करने आदि में संलग्न पाये जाते हैं, तो क्षति की राशि का दो गुना एवं चोरी की स्थिति में सामग्री की राशि के 50 गुना अर्थदण्ड प्रबंधन पक्ष द्वारा अर्थदण्ड लगाया जावेगा, जिसकी वसूली उनके देयक से की जावेगी तथा इसके संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। गंभीर अनियमितताओं में लिप्त सुरक्षाकर्मी को भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जा सकेगा।
27.	सुरक्षा ठेकेदार को अच्छे आचरण एवं चरित्र के सुरक्षाकर्मी देना होंगे। उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उनके विरुद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हो। यदि कोई सुरक्षाकर्मी डेरी संयंत्र/कार्यालय परिसर में अभद्र व्यवहार या लडाई झगड़ा करता हुआ पाया जाता है अथवा संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो ठेकेदार को ऐसे सुरक्षाकर्मी तत्काल हटाना होंगे। ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपराधिक प्रवृत्ति/सजायाफ्ता/असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर न रहे। अगर ऐसा पाया गया तो समस्त वैधानिक जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। किसी भी सुरक्षाकर्मी द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर प्रति सुरक्षाकर्मी राशि रूपये 1,000/- तक अर्थदण्ड ठेकेदार पर अधिरोपित किया जा सकेगा।

28.	<p>प्रबंधन के निर्देशानुसार ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मियों की सामयिक चिकित्सा जॉच करवानी होगी (वर्ष में एक बार चिकित्सा जॉच कराना अनिवार्य होगा) तथा तत्संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य पर लगाये गये सुरक्षाकर्मियों को वर्ष में दो बार (माह जनवरी एवं जुलाई में) एण्टी टिटनेस का इंजेक्शन ठेकेदार को लगवाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को दी जाना आवश्यक होगी। भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर व्यय की प्रतिपूर्ति संघ द्वारा की जावेगी। ठेकेदार द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मियों को छूत की बीमारी या अन्य कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। कार्य के दौरान यदि कोई सुरक्षाकर्मी आहत होता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य नियमानुसार सुविधायें ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवानी होंगी। ऐसा न करने की स्थिति में यदि प्रबंधन द्वारा यह सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उसकी राशि ठेकेदार से वसूली जावेगी तथा आर्थिक दण्ड भी लगाया जा सकेगा।</p>
29.	<p>सुरक्षा ठेका आवंटन दिनांक से एक माह में, सुरक्षा ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये सुरक्षाकर्मियों को प्रतिवर्ष एक निश्चित रंग की दो गणवेश (शर्ट, पैंट, जूते, टोपी, बेल्ट, नाम पट्टी इत्यादि) एवं प्रोटेक्टिव गारमेंट्स अपने स्वयं के व्यय से उपलब्ध कराना होगी। यदि सुरक्षाकर्मी निर्धारित गणवेश में उपस्थित नहीं होते हैं तो रु. 100/- प्रति सुरक्षाकर्मी प्रतिदिन का अर्थदण्ड आधिरोपित किया जाकर सुरक्षा ठेकेदार के देयकों से वसूल किया जावेगा। यदि सुरक्षा ठेकेदार द्वारा सुरक्षा ठेका आवंटन दिनांक से एक माह की अवधि में अपने समस्त सुरक्षाकर्मियों को उपरोक्तानुसार गणवेश प्रदाय नहीं की जाती है, तो प्रबंधन द्वारा उनके देयकों से प्रति सुरक्षाकर्मी राशि रु 1,500/- के हिसाब से गणवेश की राशि रोक ली जावेगी तथा सुरक्षा ठेकेदार द्वारा अपने समस्त सुरक्षाकर्मियों को गणवेश प्रदाय की जाने के पश्चात् ही उक्त राशि का भुगतान सुरक्षा ठेकेदार को वापस किया जा सकेगा।</p>
30.	<p>समय—समय पर शासन द्वारा न्यूनतम वेतन की दरें बढ़ाई जाने पर सुरक्षा ठेकेदार को तदानुसार सुरक्षाकर्मियों की मजदूरी का पूर्ण भुगतान करना होगा। सुरक्षा ठेकेदार को विभिन्न श्रम अधिनियमों, औद्योगिक स्वास्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, म.प्र. प्रायवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम 2012, संविदा श्रमिक अधिनियम एवं कारखाना अधिनियम आदि का पालन करना अनिवार्य होगा तथा वांछित प्रारूपों में जानकारी प्रस्तुत करना होगी व मांगने पर उक्त रिकार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ठेकेदार को श्रम नियमानुसार समस्त वर्तमान प्रावधानों व भविष्य में शासन द्वारा किये जाने वाले संशोधनों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्त लायसेंस का नवीनीकरण अनिवार्यतः कराना होगा। प्रतिमाह सुरक्षा ठेकेदार को सुरक्षाकर्मियों की सूची व सभी रजिस्टर मासिक देयकों के साथ प्रस्तुत करने होंगे। सुरक्षा ठेकेदार की कार्य प्रणाली ऐसी हो कि किसी भी शासकीय विभाग से किसी भी प्रकार की शिकायत संघ को प्राप्त नहीं होना चाहिये। यदि सुरक्षा ठेकेदार द्वारा वैद्यानिक नियमों का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप शासन द्वारा आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाता है, तो उसकी वसूली सुरक्षा ठेकेदार से की जावेगी, साथ ही ऐसी दशा में दुग्ध संघ द्वारा नियमों का पालन करने के लिए किये गये व्यय की वसूली सुरक्षा ठेकेदार के देयक से की जावेगी व आर्थिक दण्ड भी लगाया जा सकेगा।</p>
31.	<p>संयंत्र परिसर में कोई भी सुरक्षाकर्मी टिफिन, बोतल, बैग इत्यादि लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा तथा दुग्ध संघ प्रबंधन/प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित स्थान पर ही रखेगा, अन्यथा रु. 100/- प्रति सुरक्षाकर्मी प्रतिदिन का अर्थदण्ड सुरक्षा ठेकेदार पर अधिरोपित किया जाकर उनके देयकों से वसूल किया जावेगा।</p>

32.	<p>सुरक्षा ठेकेदार द्वारा प्रत्येक माह की 07 तारीख तक गत माह में किये गये कार्यों/ लगाये गये सुरक्षाकर्मियों का मानव दिवस (MANAV DIVAS) के आधार पर मुख्य डेयरी संयंत्र/दुर्घट शीतकेन्द्र/मिनी दुर्घट संयंत्र/पशु आहार संयंत्र वार सत्यापित बिल सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रकों सहित एकजार्इ रूप से प्रबंधन को प्रस्तुत करना होगा। देयकों के साथ मुख पत्र (कवरिंग लेटर) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें देयक क्रमांक/दिनांक, शाखा का नाम एवं राशि का उल्लेख होना आवश्यक है। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा पूर्ण एवं सही बिल, जिसका जिक इन कंडिकाओं में किया गया है, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, तो परीक्षण उपरांत उसका भुगतान प्रत्येक माह की 25 तारीख तक प्रबंधन की शर्तों के अंतर्गत किया जावेगा। देयक के साथ प्रबंधन द्वारा दिये गये प्रारूप में सुरक्षा ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मियों के वेतन पत्रक के साथ सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रक एवं भुगतान पत्रक संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक सुरक्षाकर्मी की वेतन दर, वेतन एवं उसमें से किये गये कटौत्रे एवं भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा एवं अन्य कटौत्रे दर्शाते हुए शुद्ध वेतन भुगतान का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। जानबूझकर गलत देयक प्रस्तुत करने पर राशि का 100 प्रतिशत आर्थिक दण्ड आरोपित किया जायेगा। अपूर्ण देयकों को यथास्थिति में वापस किया जायेगा, जिसके विलंब से भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी। सुरक्षा ठेकेदार को प्रतिमाह कार्य पर रखे सुरक्षाकर्मियों की संख्या मय् नाम, उपनाम, पिता का नाम, ई.पी.एफ नं, यू.ए.एन नं, ई.एस.आई नं एवं उनके कार्य दिवस की संख्या का प्रतिवेदन तैयार कर कार्मिक एवं प्रशासन शाखा को मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक होगा, अन्यथा आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा।</p> <p>सुरक्षा ठेकेदार द्वारा यदि वैधानिक औपचारिकताओं का परिपालन नहीं किया जाता है, तो दुर्घट संघ द्वारा सुरक्षा ठेकेदार की सर्विस चार्ज राशि का भुगतान आगामी निराकरण होने तक रोका जा सकेगा और इसके फलस्वरूप यदि किसी भी प्रकार का सुरक्षाकर्मियों को भुगतान संबंधी अवरोध आदि पैदा होता है (और यदि उपरोक्त के अभाव में विलंब होता है) तो उसकी पूर्ण जबावदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी एवं प्रबंधन पक्ष किसी भी प्रकार से जवाबदार नहीं रहेगा। ठेकेदार के देयक से आयकर का नियमानुसार टीडीएस कटौत्रा कर आयकर विभाग में जमा किया जावेगा एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति उपरांत ठेकेदार द्वारा संघ से किये गये कटौत्रे का विवरण प्राप्त किया जा सकेगा।</p>
33.	<p>निविदाकार को निविदा के साथ आयकर का PAN कार्ड की छायाप्रति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 (कर निर्धारण वर्ष 2017–18) एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 (कर निर्धारण वर्ष 2018–19) हेतु जमा किये गये रिट्टन की स्वसत्यापित छायाप्रतियां संलग्न करना होगी।</p>

34.	<p>सुरक्षा ठेकेदार को उसके द्वारा दुग्ध संघ में लगाये गये प्रत्येक सुरक्षाकर्मी के नाम से ई.पी.एफ. / ई.एस.आई खाता खोलना होगा तथा प्रतिमाह ई.पी.एफ. / ई.एस.आई का अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु ई.पी.एफ. / ई.एस.आई अंशदान के सत्यापित ॲनलाइन चालान एवं सत्यापित ॲनलाइन सूची जनरेट कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ताकि दुग्ध संघ स्तर से निर्धारित तिथि तक भुगतान किया जा सके। सुरक्षा ठेकेदार को दुग्ध संघ में लगाये गये सुरक्षाकर्मियों का पृथक चालान प्रस्तुत करना होगा। दुग्ध संघ द्वारा उक्त चालानों के माध्यम से जमा की गई सुरक्षाकर्मियों के ई.पी.एफ. / ई.एस.आई कर्मचारी अंशदान की राशि का कटौत्रा सुरक्षा ठेकेदार के देयकों से किया जावेगा। कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय में प्रतिमाह / छःमाही/वार्षिकी रिटर्न, जो वैधानिक तौर पर जमा कराया जाना अनिवार्य हो, की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ एवं सुरक्षाकर्मियों की सूची सहित संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। ई.पी.एफ. / ई.एस.आई अंशदान जमा कराने हेतु प्रतिमाह जनरेट कर प्रस्तुत किये गये अॅनलाइन चालानों पर भी यह टीप दी जानी होगी कि “इस चालान द्वारा माहमें भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को प्रदाय किये गये कुल (संख्या) सुरक्षाकर्मियों का ई.पी.एफ. / ई.एस.आई अंशदान (..... प्रतिशत) राशि रु. जमा कराया जाना है तथा किसी भी सुरक्षाकर्मी का नाम छोड़ा नहीं गया है” इस आशय का प्रमाण पत्र अॅनलाइन चालान के पीछे देना अनिवार्य होगा। इस हेतु सुरक्षा ठेकेदार के द्वारा दिया गया कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा। ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के कटौत्रे का ब्योरा प्रतिमाह की वेतन स्लिप में उल्लेख करना होगा। सर्विस चार्ज केवल पारिश्रमिक (Wages) पर ही देय होगा।</p> <p>सुरक्षा ठेकेदार को ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के अॅनलाइन चालानों को प्रतिमाह जनरेट कर मासिक देयकों के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। मासिक देयकों के साथ प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के अॅनलाइन चालानों को जनरेट कर प्रस्तुत नहीं किये जाने पर सुरक्षा ठेकेदार के विरुद्ध राशि रु 1,00,000/- प्रतिमाह का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा तथा चालान प्रस्तुत किये जाने पर ही संबंधित माह के देयकों को पारित किया जा सकेगा। इस संदर्भ में सुरक्षा ठेकेदार से कोई पत्र व्यवहार अथवा अपील मान्य नहीं होगी। यदि सुरक्षा ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयसीमा में ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के चालानों को जनरेट कर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप सुरक्षाकर्मियों का ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान जमा कराने में विलंब होता है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सुरक्षा ठेकेदार का होगा।</p>
35.	<p>निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात् सुरक्षा ठेकेदार को प्रत्येक सुरक्षाकर्मी का ई.एस.आई. कार्ड बनवाकर एक माह में देना अनिवार्य होगा। इस संबंध में शिकायत पाये जाने पर प्रत्येक सुरक्षाकर्मीवार राशि रु. 1000/- तक की पेनाल्टी सुरक्षा ठेकेदार पर लगाई जाएगी। सुरक्षा ठेकेदार यदि भोपाल शहर से बाहर का है तो उन्हें अनुबंध के उपरांत कर्मचारी राज्य बीमा, भोपाल कार्यालय का सब कोड (Sub Code) तत्काल लेना आवश्यक है, जिससे कि सुरक्षाकर्मी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर चिकित्सा लाभ ले सके तथा चिकित्सा अवकाश अवधि के पारिश्रमिक का भुगतान सुरक्षा ठेकेदार द्वारा किया जाना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में उक्त पारिश्रमिक का कटौत्रा सुरक्षा ठेकेदार के आगामी माह के देयक से किया जाकर संबंधित सुरक्षाकर्मी को भुगतान किया जायेगा।</p>

36.	<p>प्रत्येक दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण वाहन में वितरण शीट/डी.एम. में दर्शित मात्रा के अनुसार ही माल लोडिंग कराना सुरक्षा ठेकेदार को सुनिश्चित करना होगा। वितरण वाहन लोड होने के उपरांत जांच करने पर यदि वाहन में दूध एवं दुग्ध पदार्थ की मात्रा वितरण शीट/डी.एम. से अधिक पायी जाती है, तो चोरी के प्रकरण में बने पंचनामें की वसूली तीनों पार्टी (पक्षों) क्रमशः वितरक, श्रमिक ठेकेदार एवं सुरक्षा एजेंसी से बराबर-बराबर राशि वसूली जायेगी। साथ ही दूध वाहन में चढ़ाने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को हटाया जायेगा। यदि एक पैकेट से उन्नीस पैकेट तक (9 किलो 500 ग्राम) अतिरिक्त पाये जाने पर दूध के मूल्य का पांच गुना व एक क्रेट या उससे अधिक पाये जाने पर दूध के मूल्य का 20 गुना अर्थदण्ड लगाया जायेगा। इस संबंध में पंचनामें में संयंत्र परिसर में उपस्थित एक अधिकारी, जो कि प्रबंधक अथवा उससे वरिष्ठ स्तर का हो, के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।</p>
37.	<p>बोनस, जी.एस.टी एवं अन्य वैधानिक दायित्वों के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि एवं सुरक्षाकर्मियों को भुगतान करने का संपूर्ण दायित्व सुरक्षा ठेकेदार का होगा। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा सुरक्षाकर्मियों को वित्तीय वर्ष के बोनस का भुगतान करने हेतु, प्रबंधन के निर्देशानुसार समयावधि में, बैंक भुगतान पत्रक दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उक्त बैंक भुगतान पत्रकों के आधार पर दुग्ध संघ स्तर से राशि सीधे सुरक्षाकर्मियों के बैंक खाते में जमा करा दी जावेगी तथा जमा की गई राशि व बैंक चार्जेस का समायोजन सुरक्षा ठेकेदार के देयकों से कर लिया जावेगा। जी.एस.टी एवं अन्य वैधानिक दायित्वों के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि के भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा सुरक्षा ठेकेदार को नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत देयकों के विरुद्ध प्रतिमाह नियमानुसार जमा योग्य जी.एस.टी की राशि को सुरक्षा ठेकेदार द्वारा नियमों में प्रावधानित समयावधि में जमा कराया जावेगा, अन्यथा कि स्थिति में सुरक्षा ठेकेदार के विरुद्ध राशि रु 50,000/- प्रतिमाह का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा। सर्विस चार्ज केवल मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर देय होगा, अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान पर देय नहीं होगा।</p>
38.	<p>भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है अथवा नवीन शर्तों को जोड़ा जा सकता। यदि परिस्थितियों/नियमों/अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तों में परिवर्तन/संशोधन/समावेश किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा। असहमति की दशा में दो माह की पूर्व सूचना देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।</p>
39.	<p>निविदाकर्ता किसी भी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ/दुग्ध संघ से काली सूची में नामांकित नहीं है, इस आशय का शपथ पत्र निविदाकर्ता को प्रस्तुत करना होगा। यदि बाद में काली सूची में होने का खुलासा होता है तो निविदाकर्ता की सुरक्षा निधि एवं अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। काली सूची में घोषित निविदाकार की निविदा मान्य नहीं की जावेगी।</p>
40.	<p>सुरक्षा ठेकेदार के संबंध में प्रबंधन यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह कर्मचारी भविष्य निधि /कर्मचारी बीमा योजना/ठेकेदार द्वारा दिये गये संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में संबंधित निकायों/उपकर्मों/विभागों पूर्व नियोक्ताओं से पत्राचार कर यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है, जो सुरक्षा ठेकेदार ने अपनी निविदा इत्यादि में उल्लेख न कर उसे छुपाने का प्रयास किया है, तो उसका ठेका किसी भी समय समाप्त किया जायेगा।</p>
41.	<p>श्रम नियमानुसार सप्ताहिक अवकाश, कारखाना अवकाश का ओङ्कर टाइम सुरक्षाकर्मियों को ठेकेदार द्वारा भुगतान करना होगा। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह श्रम नियमानुसार अपने सुरक्षाकर्मियों से प्रतिमाह 26/27 दिवस से अधिक दिवस कार्य न करायें। साथ ही रिलीवर/एवजी की व्यवस्था भी ठेकेदार को करना होगी, जिसका भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा ठेकेदार को प्रतिपूर्ति की जावेगी। ठेकेदार को सुरक्षाकर्मियों की संख्या के आधार पर भुगतान न करते हुए मानव दिवस (MAYAWATI) के अनुसार भुगतान किया जायेगा।</p>

42.	सुरक्षा ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को बताये गये अधिकृत पते अनुसार आयकर का PAN नं., कर्मचारी भविष्य निधि कोड नं., कर्मचारी बीमा कोड नं. एवं जी.एस.टी का कोड नं की जानकारी स्पष्टतः देनी होगी।
43.	सुरक्षाकर्मियों को कारखाना अधिनियम के परिपालन में एक ही पाली में निरंतर कार्य पर नहीं रखा जा सकता है। सुरक्षा ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक सुरक्षाकर्मी की पाली नियमानुसार बदले, ऐसा नहीं पाया जाने पर सुरक्षा ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी एवं आर्थिक शास्ति अधिरोपित की जावेगी।
44.	सुरक्षा ठेकेदार दुग्ध संघ परिसर में आवारा कुत्तों, बिल्ली एवं पशुओं को रोकने के लिए उत्तरदायी होगी। यदि ऐसा करने में वे विफल होता है तो प्रबंधन द्वारा प्रति प्रकरण रु. 1000/- का अर्थदण्ड सुरक्षा ठेकेदार पर किया जाकर वसूल किया जावेगा।
45.	दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित चालान/गेटपास/मांगपत्र/आदि से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ एवं अन्य सामग्री प्रदाय की जाती है, इसी प्रकार दुग्ध संघ से प्राप्त भी होती है उसका समुचित रिकार्ड रखा जाना होगा। यह सत्यापित किये जाने की जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी कि, जो सामान गेटपास/चालान/ मांगपत्र आदि में लिखा गया है उतनी ही सामग्री जाने या आने, कम या अधिक होने पर जबावदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी। सुरक्षा ठेकेदार को संघ परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक बाहरी व्यक्ति को गेट पास जारी करना होगा तथा वाहनों की एन्ट्री भी अनिवार्यतः करना होगी।
46.	सुरक्षा ठेकेदार प्रबंधन के निर्देशानुसार दूध, दुग्ध पदार्थ, केन, केट आने—जाने की डेली रिपोर्ट तैयार करेगी एवं उस रिपोर्ट को प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
47.	सुरक्षा ठेकेदार प्रबंधन की आवश्यकता एवं निर्देशानुसार टाइम आफिस रिकार्ड रखने के लिये उत्तरदायी होगा। साथ ही सुरक्षा ठेकेदार को संयंत्र/कार्यालय/टाईम आफिस पर कारखाना अधिनियम अंतर्गत अनुशंसित सुरक्षाकर्मियों का उपस्थिति रजिस्टर रखना होगा, जिसमें उसके या उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिदिन, प्रति पारी में प्रदाय किये जाने वाले सुरक्षाकर्मियों का विवरण उपलब्ध रहेगा। अधिकृत निरीक्षक अथवा संघ के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मॉगने पर रजिस्टर उपलब्ध कराया जावेगा। ठेकेदार या उनके पर्यवेक्षक को प्रतिदिन उस रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार होगा।
48.	भोपाल सहकारी दुग्ध संघ संयंत्र में कार्यरत श्रमिक ठेकेदार, संचालक मण्डल के सदस्यों/उनके परिजनों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के पदाधिकारियों/उनके परिजनों को सुरक्षा ठेका प्रदान नहीं किया जावेगा।
49.	सुरक्षा ठेकेदार को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ भोपाल की नाम मात्र की सदस्यता ग्रहण करनी होगी।
50.	सुरक्षा ठेकेदार अथवा प्रबंधन को ठेके की अवधि के मध्य दो माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त करने का अधिकार होगा।

51.	<p>उपरोक्त शर्तों में जहाँ उल्लंघन की स्थिति में आर्थिक दण्ड का प्रावधान है किन्तु अर्थदण्ड की राशि अंकित नहीं है अथवा अर्थदण्ड निर्धारण के मापदण्ड स्पष्ट नहीं है, उक्त कंडिकाओं में अर्थदण्ड की राशि निम्न तालिका अनुसार अधिरोपित की जावेगी –</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">क्रमांक</th><th style="text-align: center; padding: 5px;">विवरण</th><th style="text-align: center; padding: 5px;">अर्थदण्ड की राशि रु</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">कंडिका का उल्लंघन प्रथम बार होने की स्थिति में</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">10,000 /–</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">कंडिका का उल्लंघन द्वितीय बार होने की स्थिति में</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">20,000 /–</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">कंडिका का उल्लंघन तृतीय बार होने की स्थिति में</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">30,000 /–</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">कंडिका का उल्लंघन तीन से अधिक बार होने की स्थिति में</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">50,000 /– (प्रत्येक बार)</td></tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त तालिका में दर्शित अर्थदण्ड संबंधी प्रावधान चोरी, हानि अथवा क्षति से संबंधित कंडिकाओं में प्रभावशील नहीं होंगे।</p>	क्रमांक	विवरण	अर्थदण्ड की राशि रु	1	कंडिका का उल्लंघन प्रथम बार होने की स्थिति में	10,000 /–	2	कंडिका का उल्लंघन द्वितीय बार होने की स्थिति में	20,000 /–	3	कंडिका का उल्लंघन तृतीय बार होने की स्थिति में	30,000 /–	4	कंडिका का उल्लंघन तीन से अधिक बार होने की स्थिति में	50,000 /– (प्रत्येक बार)
क्रमांक	विवरण	अर्थदण्ड की राशि रु														
1	कंडिका का उल्लंघन प्रथम बार होने की स्थिति में	10,000 /–														
2	कंडिका का उल्लंघन द्वितीय बार होने की स्थिति में	20,000 /–														
3	कंडिका का उल्लंघन तृतीय बार होने की स्थिति में	30,000 /–														
4	कंडिका का उल्लंघन तीन से अधिक बार होने की स्थिति में	50,000 /– (प्रत्येक बार)														
52.	सुरक्षा ठेकेदार द्वारा उपरोक्त उल्लेखित शर्तों व कार्य के विवरण में दी गई सूचनाओं का पालन करना अनिवार्य है। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा आदतन रूप से यदि उपरोक्त कोई भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो दिया गया ठेका निरस्त कर सुरक्षानिधि जब्त की जा सकेगी व आर्थिक दण्ड के साथ साथ उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर ठेकेदार को संघ की काली सूची में डाला जाकर भविष्य में होने वाली संघ की किसी भी निविदा या अन्य कार्यवाही में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।															
53.	यदि ठेके की शर्तों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का विवाद होता है, तो विवाद को “आर्बिट्रेशन” हेतु अध्यक्ष/प्रशासक, भोपाल सहकारी दुर्घ संघ मर्यादित, भोपाल को सौंपा जावेगा। आर्बिट्रेटर का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।															
54.	यदि किसी निविदाकार द्वारा 0 प्रतिशत सर्विस चार्ज अंकित किया जाता है, तो ऐसे निविदाकार की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा (भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक 29(1) 2014–पी.पी.डी./दिनांक 28.01.2014 के अनुसार)।															
55.	यदि एक से अधिक निविदाकारों द्वारा एक समान दरें प्रस्तुत की जाती है तो ठेका आवंटन हेतु लॉटरी के माध्यम से निर्णय लिया जायेगा। लॉटरी के समय निविदाकार/उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।															
56.	किसी भी वाद–विवाद की सुनवाई भोपाल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही होगी।															
57.	यदि ठेकेदार का मुख्यालय भोपाल शहर के अतिरिक्त अन्य कहीं है तो उसे भोपाल शहर में एक स्थानीय कार्यालय भी खोलना अनिवार्य होगा, जिसका पूर्ण पता देना होगा ताकि, प्रबंधन द्वारा पत्राचार उक्त कार्यालय के माध्यम से किया जा सके।															

(ब) तकनीकी निविदा के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु निविदाकारों के लिये दिशा निर्देश –

तकनीकी बिड अंतर्गत दुग्ध संघ द्वारा निविदाकार से अनिवार्यतः वांछित प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची संलग्न प्रपत्र क्रमांक 02 में दिये गये अनुसार है। निविदाकार द्वारा वांछित दस्तावेजों में से किन किन दस्तावेजों को संलग्न किया गया है अथवा विवरण प्रेषित किया गया है, का उल्लेख करते हुये प्रपत्र क्रमांक 2 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल को संबोधित पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

1. तकनीकी अर्हता क्रमांक 14, 18 एवं 20 हेतु पृथक—पृथक शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत तकनीकी अर्हतायें से संबंधित समस्त दस्तावेजों का सत्यापन मूल दस्तावेजों से किया जा सकता है।
3. ऑनलाइन जमा की गई **EML** राशि की पावती, “निविदा की समान्य शर्त” पर सहमति दर्शाते हुये सील सहित हस्ताक्षर युक्त प्रपत्र क्रमांक 1 की प्रति, प्रपत्र क्रमांक 2 “तकनीकी अर्हतायें” में विवरण अंकित करते हुये उसकी सत्यापित प्रति तथा तकनीकी अर्हताओं के 20 बिन्दुओं से संबंधित संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियां एक लिफाफे में डालकर निविदा का संदर्भ अंकित करते हुये “सुरक्षा ठेका ई—निविदा (प्रथम) वर्ष 2019–2021” लिखा जावे एवं निविदाकार का नाम एवं पूर्ण पता भी लिखा जावे। इस लिफाफे को सील बंद लिफाफे में डालकर भोपाल दुग्ध संघ कार्यालय में **दिनांक 28.03.2019** को दोपहर 01:00 बजे तक अनिवार्यतः जमा करना होगा। निर्धारित समय के पश्चात् प्रेषित उक्त दस्तावेजों को प्राप्त नहीं किया जावेगा तथा संबंधित निविदाकार की निविदा को अमान्य किया जावेगा।
4. निविदाकार को धरोहर राशि, प्रपत्र क्रमांक 01 एवं 02 में संपूर्ण विवरण अंकित करते हुये उनकी स्केन कॉपी एवं भाव पत्र (प्रपत्र क्रमांक 03) को ही ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। किन्तु प्रपत्र क्रमांक 01 एवं 02 में वर्णित तकनीकी अर्हताओं से संबंधित सभी दस्तावेजों को उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 03 में वर्णित अनुसार ऑफलाइन (भौतिक रूप से) जमा कराना होगा।
5. निविदाकार को धरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट की स्केन कॉपी, प्रपत्र क्रमांक 01 एवं 02 में संपूर्ण विवरण अंकित करते हुये उनकी स्केन कॉपी एवं भाव पत्र (प्रपत्र क्रमांक 03) को ही ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। किन्तु प्रपत्र क्रमांक 01 एवं 02 में वर्णित तकनीकी अर्हताओं से संबंधित सभी दस्तावेजों को उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 05 में वर्णित अनुसार ऑफलाइन (भौतिक रूप से) जमा कराना होगा।
6. निविदा प्रपत्रों में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी इसलिए अपनी शर्तों का उल्लेख निविदा प्रपत्रों में नहीं करें।
7. तकनीकी अर्हताओं के परीक्षण उपरांत समस्त अर्हता रखने वाले निविदाकर्ताओं की ही भाव दरें ऑनलाइन खोली जायेंगी।
8. कार्यानुभव की पुष्टि करने हेतु कार्यादेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र के साथ—साथ ई.पी.एफ चालानों पर अंकित सुरक्षाकर्मियों की संख्या को भी आधार माना जायेगा।

9. निविदा प्रपत्रों में दी गई जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवंटित ठेका निरस्त कर धरोहर राशि (**Earnest Money**) राजसात की जावेगी ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ,
डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल – 462024

उपरोक्त निविदा की शर्त कमांक 1 से 57 तक सभी शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं । उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए भाव दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :—	नाम :—
दिनांक :—	पत्राचार हेतु पता :—
	दूरभाष / मो.नं. :—

कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

प्रदर्श— 01

(अ) दुग्ध शीत केन्द्रों की सूची :-

1. आष्टा
2. नरसिंहगढ़
3. राजगढ़
4. गुना
5. हरदा
6. मुलताई
7. लटेरी
8. गैरतगंज
9. मालीवाया
10. विदिशा
11. शुजालपुर
12. बरेली
13. जीरापुर
14. कीरतपुर
15. सिलवानी
16. सोहागपुर
17. ग्यारसपुर
18. पचोर
19. गंजबासौदा
20. गौहरगंज

(ब) मिनी दुग्ध संयंत्र की सूची :-

1. बैतूल

नोट :— संघ द्वारा यदि कोई नवीन दुग्ध शीत केन्द्र/मिनी दुग्ध संयंत्र की स्थापना की जाती है, तो वह भी सूची में समाहित होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल— 462024

कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल

प्रदर्श— 02

अनुमानित सुरक्षाकर्मियों की संख्या जो निम्नानुसार निर्धारित की गई है एवं यह संख्या प्रबंधन के विवेकानुसार समय—समय पर घटाई—बढ़ाई जा सकती है :-

क्र.	सुरक्षा कर्मियों का पद	सुरक्षा कर्मियों की संख्या			
		डेयरी संयंत्र भोपाल	पशु आहार संयंत्र पचामा	भोपाल दुग्ध संघ से संबंधित दुग्ध शीत केन्द्र	कुल
1	सुरक्षा अधिकारी	1	—	—	1
2	सहायक सुरक्षा अधिकारी	1			1
3	सुरक्षा पर्यवेक्षक / सहायक सुरक्षा पर्यवेक्षक	3	1	6	10
4	सुरक्षा गार्ड	70	7	40	117
5	गनमैन	1			1
कुल संख्या		76	8	46	130

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल

कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल

प्रदर्श—03

उत्पादन शाखा से सम्पादित कार्यों बाबत अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली :-

1. दुग्ध संकलन हेतु विभिन्न स्थानों पर जाने वाले टेंकर की पूर्ण प्रविष्टि की जावे तथा पिछली दिनांक में गये टेंकर की पूर्ण जानकारी दूसरे दिन निम्न दर्शाये फार्म में उत्पादन शाखा को प्रस्तुत की जावे :—

दिनांक	समय	टेंकर क्र.	स्थान जहां गये	वाहन चालक का नाम	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

2. विपणन शाखा द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वाहनों को अंदर आने की व्यवस्था रखी जावे।
3. प्रत्येक वितरण वाहन में वितरण शाखा द्वारा निर्धारित कर्मचारियों की संख्या से अधिक कर्मचारियों को 2 नं. गेट से अंदर नहीं आने दिया जावे।
4. वाहन सिक्युरिटी गार्ड की देखरेख में लोड होगा तथा चालान पर सुरक्षा गार्ड पूरा नाम लिखेगा फिर हस्ताक्षर करेगा।
5. गेट क्रमांक 2 पर जा रही वितरण वाहन की पूर्ण जांच के बाद ही प्रविष्टि होगी। दिनांक, समय, चालान क्रमांक, पैकेट तथा क्रेट की संख्या, वाहन क्रमांक तथा पर्यवेक्षक का नाम हस्ताक्षर आदि।
6. रिटर्न क्रेटस लाने वाली वाहन को कम से एक समय में दो वाहन ही अंदर आने दिया जावे। क्रेट की संख्या की गिनती कर उसे रिटर्न स्लिप दी जावे जिस पर सिक्युरिटी गार्ड, सिक्युरिटी सुपरवाईजर का पूरा नाम लिखा होगा एवं हस्ताक्षर होंगे। क्रेट की संख्या अंकों तथा शब्दों में होना आवश्यक है।
7. डाक पर जो वाहन लोड की जावेगी उसे सुरक्षा गार्ड द्वारा गिना जावेगा उसके पश्चात वितरण शाखा का प्रतिनिधि गिनेगा। गिनने के पश्चात वाहन चालक को क्रेट प्राप्ति की पावती रिटर्न स्लिप तीन प्रतियों पर पूर्ण हस्ताक्षर कर दी जावेगी। वाहन चालक से बाहर जाते समय पावती एक प्रति सुरक्षा शाखा द्वारी ली जावेगी।
8. प्रातः एवं शाम को प्राप्त रिटर्न क्रेट की जानकारी रजिस्टर में निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार दर्ज की जावेगी :—

दिनांक	समय	वाहन क्र.	चालान क्र	क्रेट की संख्या	सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

9. पिछली दिनांक से प्राप्त क्रेटस का रिकंसिलेशन प्रतिदिन उत्पादन शाखा में उपलब्ध विपणन शाखा के रिकार्ड से करवाया जावेगा।
10. क्रेटस का उपयोग केवल दूध एवं दूध के पदार्थ रखने हेतु है। अन्य कार्यों के लिये अन्य शाखा द्वारा इसका उपयोग वर्जित है तथा डाक से नीचे क्रेटस ले जाते हुये किसी कर्मचारी को देखा जावे तो तुरंत रोका जावे।

11. केटस का भौतिक सत्यापन प्रातः वितरण के बाद तथा धी कक्ष का प्रातः 8 बजे प्रबंधक (सं.सं) द्वारा किया जावेगा। यह सत्यापन में ए.एस.ओ. स्तर की सिक्युरिटी की रिस्पॉनसिब्लिटी रहेगी।
12. भंडार में वापस की जाने वाली समस्त सामग्री की सुरक्षा गार्ड द्वारा सत्यापित कर हस्ताक्षर किये जावेंगे।
13. धी कक्ष का कार्य समाप्त होने पर उसे सील किया जाता है इस कार्य हेतु ए.एस.ओ. स्तर का अधिकारी उपस्थित रहेगा।
14. धी कक्ष से तथा डी.एम. पर इश्यू होने वाले समस्त डी.एम. पर सुरक्षा गार्ड जांच कर हस्ताक्षर करेगा।
15. धी शाखा या भंडार से वाहन लोड होते समय सुरक्षा गार्ड उपस्थित रहेगा तथा वाहन लोड होने पर डी.एम. से चैक कर डी.एम. पर हस्ताक्षर करेगा।
16. बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति को गेट नं. 2 के अंदर नहीं जाने दिया जावे। समस्त आगंतुक एवं कर्मचारी टाइम आफिस गेट से आएं/जाएं।
17. दो पहिया वाहनों को गेट नं. 2 से अंदर नहीं आने दिया जावेगा।
18. उत्पादन शाखा के कर्मचारियों की डयूटी पारी अनुसार रहती है। निर्धारित लंच अवधि के अलावा उन्हें गेट से बाहर जाने पर रोक लगाई जावे। यदि डयूटी में लंच अवधि के अलावा कोई कर्मचारी बाहर धूमता हुआ पाया जावेगा तो सिक्युरिटी कार्य में लापरवाही मानी जावेगी।
19. ठेकेदार के सुरक्षाकर्मियों को ठेकेदार द्वारा प्रमाणित करने के बाद ही अंदर जाने दिया जावे।
20. अनाधिकृत व्यक्तियों को डेरी परिसर में नहीं आने दिया जावे।
21. दुग्ध की बोतल जो अन्य उपयोग में लाई जाती है पर नियंत्रण किया जावे।
22. यदि कोई व्यक्ति डी.एम. के साथ खाली केट लेकर आता है तो डी.एम. के पीछे या अलग से एक स्लिप पर गेट पर ही लिखकर दिया जावे कि व्यक्ति के साथ कितनी केट हैं।
23. प्रत्येक दिन बाहर गये एवं अंदर आये क्रेट/केन के रिकार्ड विपणन शाखा, उत्पादन शाखा एवं सुरक्षा एजेंसी के द्वारा रखे गये रजिस्टरों के अनुसार रिकन्सीलेशन किया जावेगा। प्रतिदिन प्रातः रिटन आने से पूर्व सुरक्षा एजेंसी के सुपरवाईजर, संसाधन अधीक्षक एवं विपणन लिपिक डेरी में बचे हुये क्रेट/केन का भौतिक सत्यापन करेंगे। यदि सुरक्षा एजेंसी का कर्मचारी अनुपस्थित होगा तो वे इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे व वस्तुस्थिति उन पर बंधनकारी होगी।
24. उक्त प्रक्रिया के अनुसार यदि किसी प्रकार क्रेट/केन में रिकार्ड की तुलनानुसार कोई कमी आती है तो उसके लिए सुरक्षा एजेंसी पूर्ण रूपेण जिम्मेदार हैं तथा तत्काल इसकी सूचना लेखा शाखा एवं प्रशासन शाखा को दी जावेगी। प्रशासन शाखा के माध्यम से ही संबंधित कटोत्रा किये जावेंगे। कटोत्रे की राशि सामग्री के वर्तमान क्रय मूल्य के आधार पर निर्धारित की जावेगी।
25. सुरक्षा एजेंसी द्वारा स्वयं के व्यय से सुरक्षा कर्मचारियों को वर्दी/प्रोटेक्टिव गारमेंट्स एवं परिचय पत्र उपलब्ध कराये जावेंगे। ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल

कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

प्रपत्र –02

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
भोपाल ।

महोदय,

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र, पशु आहार संयंत्र (पचामा) एवं समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों में ठेके पर सुरक्षाकर्मी प्रदाय करने हेतु दिनांक को समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञाप्ति के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं । यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार सुरक्षाकर्मी प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ । अतः मैं एतद् द्वारा धरोहर राशि (**Earnest Money**) रु. 5,00,000/- (रुपये पाँच लाख मात्र) को **ग्राहक** जमा कर पावती संलग्न कर रहा हूँ एवं तकनीकी अर्हतायें के लिये प्रमाण के तौर पर वांछित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ ।

अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें

क्रं०	आवश्यक अर्हता	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज	संलग्न है या नहीं अंकित करें / विवरण देवें
1	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था / फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)	पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र / प्रमाणपत्र ।	है / नहीं
2	संस्था / फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम ।	संस्था / फर्म के संचालक मण्डल / मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र ।	है / नहीं
3	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता	पंजीकृत पार्टनरशिप डीड ।	है / नहीं
4	सुरक्षा ठेके संबंधी जीवित लायसेंस क्रमांक ।	श्रम विभाग का पत्र / प्रमाण पत्र ।	है / नहीं
5	भविष्य निधि कोड नं. ।	भविष्य निधि कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र ।	है / नहीं
6	कर्मचारी राज्य बीमा कोड नं. ।	कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र ।	है / नहीं
7	जी.एस.टी. पंजीयन कोड ।	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र ।	है / नहीं

8	वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 का आयकर का रिट्टन जमा करने का प्रमाण।	PAN कार्ड की छायाप्रति एवं आयकर विभाग में रिट्टन जमा करने की पावती एवं प्रमाण।	है / नहीं
9	वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 का टर्न ओवर प्रतिवर्ष राशि रु एक करोड़ पचास लाख से अधिक अनिवार्यतः होना चाहिए।	द्वारा प्रमाणित वित्तीय पत्रक एवं लाभ/हानि खाते [ग्राहक ट्रैकिंग फॉर्म] की प्रमाणित छायाप्रति तथा ऑडिट रिपोर्ट (फार्म 3 सी ए/3 सी बी (जो भी लागू हो) एवं 3 सी डी)।	है / नहीं
10	प्रतिष्ठित औद्योगिक/वाणिज्यक संस्था में गत 2 वित्तीय वर्षों (2016–17, 2017–18) में ठेके पर सुरक्षाकर्मी प्रदाय किये हों तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में न्यूनतम 200 दिन तक औसतन कम से कम 200 सुरक्षाकर्मी प्रतिदिन प्रदाय किये हों (संस्था का नाम व पता जहाँ सुरक्षाकर्मी प्रदाय किये गये हों)	नियोक्ता के कार्य आदेश की प्रति एवं अनुभव का प्रमाण पत्र।	है / नहीं
11	भविष्य निधि अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में जमा कराये गये ई.पी.एफ की राशि के चालानों की छायाप्रति।	है / नहीं
12	कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में जमा कराये गये ई.एस.आई की राशि के चालानों की छायाप्रति।	है / नहीं
13	म.प्र. प्रायवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम 2012 के अंतर्गत फर्म/संस्था का पंजीयन अनिवार्यतः होना चाहिये।	म.प्र. प्रायवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम 2012 के अंतर्गत नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र (नवीनीकृत) संलग्न किया जावे।	है / नहीं
14	कारखाना एवं श्रम विभाग/न्यायालय में प्रकरण/वाद आदि विचाराधीन/लंबित न होने का शपथ-पत्र।	यदि विवाद नहीं है, तो नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रु 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।	है / नहीं
15	क्या निविदाकर्ता का भोपाल शहर में कार्यालय है।	यदि हाँ, तो पूर्ण पते का उल्लेख करें।	
16	क्या आपकी संस्था भोपाल सहकारी दुग्ध संघ में पूर्व में भी कभी कार्य कर चुकी है अथवा कर रही है।	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण देवें।	

17	क्या आपकी संस्था एम.पी.सी.डी.एफ / इन्डॉर / उज्जैन / जबलपुर/ ग्वालियर / बुंदेलखण्ड सहकारी दुग्ध संघों में पूर्व में भी कभी कार्य कर चुकी है अथवा कर रही है।	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण देवें।	
18	क्या आपकी संस्था का एम.पी.सी.डी.एफ / इन्डॉर / उज्जैन / जबलपुर/ ग्वालियर / बुंदेलखण्ड सहकारी दुग्ध संघों में ई.पी.एफ, ई.एस.आई एवं सर्विस टेक्स / जी.एस.टी. का कोई विवाद तो पंजीकृत / विचाराधीन नहीं है।	यदि विवाद नहीं है, तो नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रु 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।	है / नहीं
19	क्या उक्त संस्थाओं से आपकी निविदा को निरस्त किया गया है ?	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण देवें।	
20	क्या किसी शासकीय संस्था / एम.पी.सी.डी.एफ / दुग्ध संघ द्वारा आपकी संस्था को काली सूची में नामांकित किया गया है ?	यदि काली सूची में नामांकित नहीं किया गया है, तो इस आशय का नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रु 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।	है / नहीं

मैंने निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा की शर्त तथा अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु दिये गये दिशा निर्देश, पूर्णतः पढ़ लिये एवं समझ लिये हैं और उस में दिये गये निर्देश के अनुसार ही निविदा प्रक्रिया में भाग ले रहा हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :—

नाम :—

दिनांक :—

पत्राचार हेतु पता :—

दूरभाष / मो.नं. :—

(प्रपत्र क्रमांक 02 – तकनीकी अर्हता क्रमांक 14 के संबंध में राशि रु 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप)

शपथ—पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम).....(पता).....(पंजीयन क्रमांक).....
शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :-

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म के विरुद्ध कारखाना एवं श्रम विभाग/न्यायालय में कोई प्रकरण/वाद आदि न तो विचाराधीन है और न ही लंबित है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (नाम).....(आयु).....(पता)..... शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 लगायत 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया हैं और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

(प्रपत्र क्रमांक 02 – तकनीकी अर्हता क्रमांक 18 के संबंध में राशि रु 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप)

शपथ पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम).....(पता).....(पंजीयन क्रमांक).....
शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :-

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म के विरुद्ध एम.पी.सी.डी.एफ / इन्डौर / उज्जैन / जबलपुर / ग्वालियर / बुंदेलखण्ड सहकारी दुग्ध संघों में ई.पी.एफ., ई.एस.आई. एवं सर्विस टैक्स / जी.एस.टी का कोई विवाद पंजीकृत / विचाराधीन नहीं है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (नाम).....(आयु).....(पता)..... शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 लगायत 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया हैं और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

(प्रपत्र क्रमांक 02 – तकनीकी अर्हता क्रमांक 20 के संबंध में राशि रु 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप)

शपथ पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम).....(पता).....(पंजीयन क्रमांक).....
शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :-

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्मको किसी शासकीय संस्था / एम.पी.सी.डी.एफ / दुग्ध संघ द्वारा काली सूची में नामांकित नहीं किया गया है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थान:
दिनांक:

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (नाम).....(आयु).....(पता)..... शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 लगायत 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया हैं और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थान:
दिनांक:

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

कार्यालय भोपाल सहकारी दुर्घट संघ मर्यादित, भोपाल

प्रपत्र-03

“भाव पत्र/दर”

(अ) निम्न मदों में संघ द्वारा नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी :—

क्र	विवरण	
1	मजदूरी (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी)	
	क्र	सुरक्षाकर्मी का विवरण
	1.	सुरक्षा अधिकारी
	2.	सहायक सुरक्षा अधिकारी
	3.	गनमैन
	4.	सुरक्षा पर्यवेक्षक
	5.	सहायक सुरक्षा पर्यवेक्षक
	6.	सुरक्षा गाड़
2	बोनस अधिनियम अनुसार न्यूनतम बोनस	
3	टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण पर व्यय की गई राशि	
4	श्रमिक कल्याण निधि नियोक्ता अंशदान	
5	वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट के अंतर्गत दुर्घटना समूह बीमा प्रीमियम का भुगतान (अधिकतम बीमा राशि रु. 1,00,000/- प्रति सुरक्षाकर्मी)	
6	कारखाना अवकाश का ओफर टाइम एवं सवैतनिक अवकाश का भुगतान	
7	जी.एस.टी – सुरक्षा ठेकेदार द्वारा चालान जमा कर प्रस्तुत करने पर।	

नोट:-

1	ठेकेदार को मानव दिवस (११ नवंबर) के आधार पर भुगतान किया जावेगा ।
2.	'अ' मद में प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान प्रमाणक की मूल प्रति सुरक्षाकर्मियों की सूची सहित प्रस्तुत करनी होगी ।

(ब) निम्न मदों में संघ स्तर से नियमानुसार अंशदान राशि जमा करायी जावेगी :—

क्र	विवरण
1	कर्मचारी भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान – सुरक्षा ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।
2	कर्मचारी राज्य बीमा योजना नियोक्ता अंशदान – सुरक्षा ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।

निरंतर...2

(स) निम्न मद हेतु निविदाकार अपनी न्यूनतम दर प्रस्तुत करें जिसका भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा :—(केवल ऑनलाइन के माध्यम से अपनी दर प्रस्तुत करें)

क्र	विवरण	मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर प्रतिशत
1.	सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज	

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :—

नाम :—

दिनांक :—

पत्राचार हेतु पता :—

दूरभाष / मो.नं. :—

.....